



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

No.76/Sship/CBSE/2022

Date: 7.10.2022

To,

The Principals/Heads of the CBSE Affiliated Schools
(Through CBSE website)

Subject: Verification of online applications of Single Girl Child Scholarship 2022 by the CBSE affiliated Schools –reg.

The CBSE Provide the Single Girl Child Scholarship to the Single Girl Child students of CBSE affiliated school and passed class X from the School affiliated with CBSE with 60% marks in first five subjects. The scheme was started by the CBSE from the year 2006.

Online applications are invited from the eligible candidates for the Single Girl Child Scholarship 2022 and Single Girl Child Scholarship 2021 (Renewal 2022). **Candidate can apply directly through the Scholarship portal available on CBSE website <https://cbse.gov.in> -> Scholarship**

Schools are requested to go through the guidelines of Single Girl Child Scholarship X-2022, available on CBSE website, and process the online application submitted by their students.

Eligibility Criteria:-

1. The Single Girl Child passed class X from the School affiliated with CBSE and pursuing her education at class XI and XII in CBSE affiliated schools.
2. The girl students who are the only child of their parents and who have scored 60% or more marks (in first five subjects) in class X are eligible for the award of scholarship.
3. Monthly tuition fee should not exceed Rs.1,500/- pm in Class X and 10% enhancement for Class XI & XII.
4. The Scholarship awarded shall be renewed for a period of one year i.e. successful completion of class XI and student have scored 50% or more marks in Class XI and promoted to class XII.
5. The scholarship shall be awarded to Indian Nationals only.
6. NRI applicants of the Board are also eligible for the award. The tuition fee for the NRIs has been decided maximum of Rs.6,000/- per month.
7. A Scholar, under the scheme, while availing scholarship can also enjoy other concession(s) given by the school in which she is studying.

The candidates may apply online for the single Girl Child Scholarship and the schools will be required to verify the application forms of the students of their school. The Central Board of Secondary Education (CBSE) has Scholarship portal wherein the schools may login and verify the applications.

"शिक्षा केन्द्र" 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली – 110092

"Shiksha Kendra", 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110 092

फोन / Tel : +91-11-22509256, 22509257



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

Schedule of Submission & Processing of Single Girl Child Scholarship X-2022 online application:

		From	To
1	Submission of online application by applicant	14.10.2022	14.11.2022
2	Verification of application by school	21.10.2022	21.11.2022

* School must finish the verification of application by 21.11.2022 in any case.

How to Verify :-

1. School can login through link provided at <https://cbse.gov.in> -> Scholarship.
2. Enter school's existing credential as used for various examination activities.
3. After login, a list of application will be shown of the applicant's belonging to school.
4. Check the details of the applicant and select Approved or Rejected, as the case may be, after proper verification of application against the scholarship eligibility guidelines.
5. Upon updating the status the same will be visible to applicant.
6. Once the details are verified and status updated, further changes cannot be made.
7. Student can also follow up with school in case of application is being shown pending.

Note: No offline application/hardcopy of request for scholarship will be accepted.

The Guidelines of the scheme are available on the CBSE website under scholarship portal. The schools are advised to motivate their Single Girl Child students who fulfill the eligibility criteria to apply online for the scholarship.

(Anurag Tripathi)
Secretary

Copy to: Web Admin with the request to upload on CBSE website.

"शिक्षा केन्द्र" 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092
"Shiksha Kendra", 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110 092
फोन / Tel: +91-11-22509256, 22509257



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



सं.76/छात्रवृत्ति/सीबीएसई/2022

दिनांक : 07.10.2022

सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य/प्रमुख
(सीबीएसई वेबसाइट द्वारा)

विषय : सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों द्वारा एकल बालिका संतान छात्रवृत्ति 2022 के ऑनलाइन आवेदनों के सत्यापन के संबंध में।

सीबीएसई एकल बालिका संतान छात्रवृत्ति उन एकल बालिका संतान को प्रदान करता है, जिन्होंने सीबीएसई से संबद्ध स्कूल से पहले पाँच विषयों में 60% अंको से दसवीं कक्षा पास की है। यह योजना सीबीएसई द्वारा वर्ष 2006 से शुरू की गई थी।

सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति 2022 व सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति 2021 (नवीकरण 2022) के लिए पात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार सीबीएसई की वेबसाइट <https://cbse.gov.in> - > **Scholarship** पर उपलब्ध छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं।

स्कूलों से अनुरोध है कि वे सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध एकल बालिका संतान छात्रवृत्ति X-2022 के दिशानिर्देशों को पढ़ लें और अपने छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन पर कार्रवाही करें।

पात्रता मानदंड :-

1. एकल बालिका संतान, जिन्होंने सीबीएसई से संबद्ध स्कूल से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही हो।
2. वे छात्राएं जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और जिन्होंने दसवीं कक्षा में 60% या उससे अधिक अंक (पहले पाँच विषयों में) प्राप्त किए हैं, छात्रवृत्ति के अवार्ड के लिए पात्र हैं।
3. कक्षा X में मासिक ट्यूशन शुल्क 1500/- रुपये प्रति माह और कक्षा XI और XII के लिए 10% वृद्धि से अधिक नहीं होना चाहिए।
4. प्रदान की गई छात्रवृत्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा अर्थात् कक्षा XI के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर और छात्र ने कक्षा XI में 50% या अधिक अंक प्राप्त किए हैं और कक्षा XII में प्रोन्नत किया गया है।
5. छात्रवृत्ति केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान की जाएगी।
6. बोर्ड के एनआरआई आवेदक भी पुरस्कार/अवार्ड के लिए पात्र हैं। ट्यूशन शुल्क अधिकतम 6,000/- रुपये प्रति माह का एनआरआई के लिए निर्णय किया गया है।
7. इस योजना के तहत एक छात्रा छात्रवृत्ति का लाभ उठाते हुए उस स्कूल द्वारा दी गई अन्य रियायतों का



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092



Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



लाभ ले सकता है और वह अन्य संगठन (संगठनों) द्वारा प्रदान की गई रियायतों को प्राप्त कर सकती हैं। अभ्यर्थी एकल बालिका संतान छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं और स्कूलों को अपने स्कूल के छात्राओं के आवेदन फॉर्म को सत्यापित करना होगा। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के छात्रवृत्ति पोर्टल है जहां स्कूल लॉगिन कर सकते हैं और आवेदनों को सत्यापित कर सकते हैं।

एकल बालिका संतान छात्रवृत्ति X-2021 ऑनलाइन आवेदन जमा करने और प्रसंस्करण की अनुसूची:

		से	तक
1	आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करना	14.10.2022	14.11.2022
2	स्कूल द्वारा आवेदन का सत्यापन	21.10.2022	21.11.2022

* स्कूल को किसी भी स्थिति में आवेदन का सत्यापन 21.11.2022 तक पूरा करना होगा।

कैसे सत्यापित करें :-

1. स्कूल पर दिए गए लिंक <https://cbse.gov.in> -> छात्रवृत्ति माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।
2. विभिन्न परीक्षा गतिविधियों के लिए उपयोग किए गए स्कूल का मौजूदा विवरण दर्ज करें।
3. लॉग इन करने के बाद, स्कूल से संबंधित आवेदकों की सूची स्कूल से समक्ष होगी।
4. आवेदक के विवरण की जांच करें और छात्रवृत्ति पात्रता दिशानिर्देशों के समक्ष आवेदन के उचित सत्यापन के बाद स्वीकृत या अस्वीकृत का चयन करें, जैसा भी मामला हो।
5. स्टेटस अपडेट करने पर यह आवेदक को दिखाई देगा।
6. एक बार विवरण सत्यापित हो जाने और स्थिति अपडेट हो जाने के बाद, आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
7. आवेदन लंबित होने की स्थिति में छात्रा स्कूल के साथ अनुवर्ती कार्रवाई भी कर सकती है।

नोट: ऑफलाइन आवेदन/छात्रवृत्ति के लिए अनुरोध की हार्डकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।

योजना के दिशा-निर्देश छात्रवृत्ति पोर्टल के तहत सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी एकल बालिका संतान छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए प्रेरित करें।

(अनुराग त्रिपाठी)

सचिव

प्रतिलिपि: वेब एडमिन को सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092



Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in